न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –95/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रूपाराम गोद पुत्र चोलाराम जाति जाट निवासी ईशरनावडा तहसील खींवसर जिला नागौर		1. चोलाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट निवासी ईशरनावडा तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान) 2. ग्राम पंचायत पापासनी जरिए सरपंच ग्राम सचिव ग्राम पंचायत पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान) 3. चम्पाराम पुत्र धूडाराम 4. भेराराम पुत्र धूडाराम 5. झमकू पत्नि धूडाराम 6. आईदानराम गोद पुत्र पुरखाराम जातियान जाट निवासीगण ईशरनावडा तहसील खींवसर जिला नागौर 7. मोहनी पत्नि नेनाराम के कायम मुकामान– 7/1 सुरजा पुत्री नेनाराम 7/2 दुर्गा पुत्री नेनाराम 7/3 सायरी पुत्री नेनाराम 7/4 निम्बू पुत्री नेनाराम जति जाट निवासीगण ईशरनावडा तहसील खींवसर जिला नागौर 8. पप्पूराम पुत्र नेनाराम 9. पदमाराम पुत्र नेनाराम जाति जाट निवासीगण ईशरनावडा तहसील खींवसर जिला नागौर 10. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा बिरलोका (वर्तमान बैंक एस.बी.आई. शाखा बिरलोका) तहसील खींवसर जिला नागौर 11. तहसीलदार खींवसर जिला नागौर (राजस्थान)

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या–11 की ओर से राजपैरोकार कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 22-5-2019

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 522 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 22.05.2017 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 04.08.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील तावे उजे मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलव

कलक्टर, नागौर

किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त व हक अधिकार बेरोकटोक रहता चला आया है और जैर अपील नामान्तरकरण अपीलांट के बाले बाले ही स्वीकृत किया गया था इसलिए अपीलांट को नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी तथा दिनांक 26.07.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच तीन–चार अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर अपीलांट के कब्जा सुदा व बन्टसुदा भूमि पर आये और अपीलांट को मौके से बेदखल करने की धमकियां दी और कहा कि भूमि हमने दान करवा ली है इसलिए अब हम लाठी के बल पर आपका कब्जा छुडायेगें और हम जबरन कब्जा करेगें तब अपीलांट ने दिनांक 27.07.2017 को तहसील कार्यालय खींवसर जाकर रेकर्ड की तरफ ध्यान दिया और नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 03.08.2017 को प्राप्त हुई तो सर्व प्रथम नामान्तरकरण की जानकारी हुई, जानकारी से अन्दर मयाद अपील आज पेश की जा रही है। जिसे अन्दर मियाद शुमार मानी जाना उचित एंव न्याय संगत होने का कथन करते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान करावाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के मयाद प्रार्थना पत्र पर सहानूभूतिपूर्व विचार करते हुए अपीलान्ट की अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या एक का गोद पुत्र है और स्वर्गीय फुसाराम का पौत्र है इसलिए अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या एक का व स्वर्गीय फुसाराम का विधिक वारिसान व उतराधिकारी है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 से 9 के पुश्तेनी खेत खसरा नम्बर 384 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा व अन्य खेताय मौजा ईशरनावडा में स्थित है जो भूमि पूर्व में अपीलांट के दादा स्वर्गीय श्री फूसाराम के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की थी फूसाराम के देहान्त के बाद उनके पूत्रो के नाम दर्ज हो गयी। लेकिन वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी होने से अपीलान्ट का भी वादग्रस्त भूमि में रेस्पोंडेन्ट संख्या एक के साथ हक व अधिकार निहित होता है। अपने निहित हक व अधिकारो पर अपीलांट आज दिन काविज काश्तकार रहते चले आये है। हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के मुताबिक हिन्दू परिवार में सदस्य का जन्म होते ही पुस्तेनी सम्पति में कानूनी रुप से हक निहित हो जाता है, चाहे खातेदार हो या न हो इस प्रकार खसरा नम्बर 384 में अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट संख्या एक के साथ हक व अधिकारो पर आज दिन काबिज काश्तकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या एक वृद्व व्यक्ति है जिसको रेस्पोडेन्ट ने बहला फुसलाकर अपीलांट को पुस्तेनी भूमि से वंचित रखने व अपने आपको नाजायज लाभ पहुंचाने की नीयत से बिना कोई कब्जा का आदान प्रदान हुए एक झूठा व मिथ्या कागजी दान पत्र तैयार कर दानपत्र का दिनांक 13.02.2017 को पंजीयन करवा लिया गया जबकि वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी भूमि है जिसमें अपीलांट का कानूनी रुप से भी हक व अधिकार रहता चला आया है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कोई किसी तरह का किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं है और न ही न ही था फिर भी तहसीलदार ने बिना कोई कब्जा की जांच किए अपीलांट के बाले–बाले ही गलत रुप से दिनांक 22.05.2017 को नामान्तरकरण संख्या 522 स्वीकृत कर दिया गया । जिस नामान्तरकरण की अपीलांट को जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई किसी तरह की सूचना नहीं दी और न ही सूनवाई का अवसर दिया। अपीलांट के बाले–बाल ही जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जिससे जैर अपील नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सामान्य

सिद्धान्तों के खिलाफ होने से व विधि विरुद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट रस्पोडेन्ट संख्या एक का गोद पूत्र है। और स्वर्गीय फूसाराम का पौत्र है इसलिए फूसाराम का देहान्त होते ही अपीलांट को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के मुताबिक रेस्पोडेन्ट संख्या एक साथ हक व अधिकार कानूनी रुप से नहीं किया गया। क्योंकि पुस्तेनी संपत्ति में हिन्दू परिवार के सदस्य का जन्म होते ही संपत्ति में हक व अधिकार कानूनी रुप से निहित हो जाता है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या एक अकेले को संपूर्ण भूमि का दान करने का व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दान करवाने का कोई विधिक अधिकार नही था। इसलिए दान पत्र ही बिल्कुल ही अवैद्य व निष्प्रभावी है, तथा अवैद्य व निष्प्रभावी दस्तावेज के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य होता है।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक वृद्व व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट ने अपने आप को नाजायज फायदा पहुचाने व अपीलांट को पुस्तेनी भूमि के हव अधिकारों से वंचित रखने के गरज से बिना कोई कब्जा आदान–प्रदान किये ही गलत रुप से एक कागजी दानपत्र तैयार करवाया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या दो को वादग्रस्त भूमि के किसी भी भू–भाग का कब्जा नहीं दिया था, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक का कोई कब्जा नहीं था। कब्जा काश्त अपीलांट का रहता चला आया है। और आज दिन भी अपीलांट का कब्जाकाश्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या दो को कब्जा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में कब्जा के संबंध में बिना कोई जांच किए ही अपीलांट के बाले बाले ही नामान्तरकरण भरा गया है। जबकि कानूनी रुप से कब्जा के अभाव में नामान्तरकरण नहीं भरा जा सकता। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण दिनांक 22.05.2017 को स्वीकृत किया गया है और भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जबकि मौके पर कोई किसी तरह की कब्जा के संबंध में व अन्य किसी प्रकार की जांच नहीं कि बिना कोई जांच किये ही कार्यालय में बैठे–बैठे ही जांच की खानापूर्ति करके नामान्तरकरण भरा गया है। जो निरस्त होने योग्य है।

वादग्रस्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक व तीन से नौ के संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की थी। इसलिए अलग–अलग विभाजन करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या एक को बैचान करने का व रेस्पोडेन्ट संख्या दो को दान करवाने का कानूनी रुप से कोई विधिक अधिकार भी नहीं था। इसलिए दान पत्र भी विधि विरुद्व रुप से कागजी दानपत्र तैयार किया गया था। ऐसी स्थिति जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के कब्जा के संबंध में विस्तृत जांच करवाना आवश्यक था, लेकिन कोई किसी तरह की जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या दो का कोई कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी रुप से बडी भारी भूल की जिससे भी नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त व हक अधिकार बे–रोकटोक रहता चला आया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 9 का इस अपील से कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा फिर भी वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार होने से रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाये जाने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 522 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करने व विकल्प में जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त कर पत्रावली को इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने कि अपीलांट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देकर मौके पर कब्जा के संबंध में विस्तृत जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से बहस में कथन किया की तहसीलदार द्वारा म्यूटेशन जैर अपील रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत किया गया है, जो सही होने से अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त म्यूटेशन पंजीकृत दानपत्र के आधार पर

तहसीलदार खींवसर द्वारा स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण जैसी संक्षिप्त प्रकिया में खातदारी अधिकार तय नहीं किये जा सके हैं। अपीलान्ट द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो कि दान पत्र के जरिये दान की गई भूमि पैतृक सम्पति रहीं है। चूँकि म्यूटशन जेर अपील पंजीकृत दान पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो अपीलान्ट को उक्त दान पत्र को निरस्त कराने हेतु समक्ष स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित आदेश म्यूटेशन जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव),
जिला कलक्टर,नागौर

कलक्टर, नागौर